रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2447] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937
No. 2447] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

का.आ.3099(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 31°49'50" उ. से 32°14'36" उ. के बीच अक्षांश तथा 76°53'31" पू. से 77°17'53" पू. देशान्तर के बीच 207.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है|

और, वनस्पति और जीव-जन्तु इस अभयारण्य के समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

पक्षी : भारत में 77 पक्षी परिवारों में से लगभग 54 पक्षी परिवारों से संबंधित 230 प्रजातियां अभिलिखित हैं । जल प्रपातों की मुख्य प्रजातियों में जार-हेडेड गीज,पिन्टेल्स,पोचार्डस, कूट्स, गेब्स, कोरमोरेन्ट्स और स्टोर्क्स इत्यादि हैं ।

तितली : इंडियन फ्रिटिलरी, स्टीप्ड टाईगर, ऑरेंज ओकलीफ, येलो पैंसी, ग्रे-डैनिड एगफ्लाई इत्यादि ।

पशु : नीलगाय, पोरक्यूपाइन, सिवेट्स, मोंगूज, तेंदुआ इत्यादि ।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1.50 किलोमीटर चारों ओर तक के विस्तारित क्षेत्र को पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1.5 किलोमीटर को चारों ओर 46.31 वर्ग किलोमीटर का होगा|

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के ग्रामों की सूची उपाबंध-I पर उपाबद्ध है|

(3) ऐसे जोन के जीपीएस निर्देशांक सीमा के साथ उपाबंध-II पर है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा विवरण अक्षांश व देशान्तर के साथ उपाबंध-III पर उपाबद्ध है|

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा|

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी|

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(ix) सिंचाई

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकीजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन **क्रम सं.** 10, 21, 35, 36, और 37 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(ii) पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए तम्बू, काष्ठ गृह आदि जैसे पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं|

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोत –** सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति मे मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं|

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा ;

IndiaCode

(ii) पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के नए सन्निर्माण की अनुज्ञा पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाए नहीं दी जाएगी ;

परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी|

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा

IndiaCode

तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी|

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी|

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी	
(1)	(2)	(3)	
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :			
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।	
2.	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।	
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।	
5.	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।	
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।	
7.	प्लास्टिक बैग का उपयोग	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए)	
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।	
9.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।	

विनियमित क्रियाकलाप						
10.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी	 लेकिन संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर से पारिस्थितकीय संवेदी जोन के विस्तार तक होटल और विश्रामस्थलों की स्थापना आंचलिक महायोजना या विद्यमान क्रियाकलपों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार की जा सकती है			
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी	 परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी	 (ख) परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा	 (ग) पारिस्थितिक संवेदी के जोन की सीमा से एक किलोमीटर के आगे वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा	
12.	खाई का मैदान	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है	पुराने खाई के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं			
13.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण	शोधित बहिस्रावों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जायेगा और अब मल एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जायेगा				
14.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।				
15.	ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे				
16.	भू-जल उत्कर्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।				
17.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा				
18.	प्रवासी चरवाहे	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।				
19.	विद्यमान स्थापन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।				
20.	विद्युत लाइनों को पृथक करना	भूमिगत केबलों का प्रोन्नयन	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से पृथक्कृत किया जाएगा			
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।				

22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाङ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। वन्यजीव के मुक्त संचरण को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सम्पत्तियों को कंटीले तारों से नहीं घेरा जायेगा और कोई घेरा 1 मीटर से ऊंचा नहीं होगा। इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेरे को आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपान्तरित किया जाएगा।
23.	जन अधिकार	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	लघु चारा संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	सभी रास्ते और विद्यमान सड़के ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें भूजल संचयन भी है, का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	आंचलिक महायोजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप एक से दस ढलानों वाली पहाड़ी पर और किसी नदी और प्राकृतिक नाले के किनारे से 100 मीटर तक नहीं किया जाएगा।
संवर्धित क्रियाकलाप		
32	स्थानीय समुदायों द्वारा चलायी जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरी-फार्मिंग, एक्वाकल्चर और मछली पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।
33.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषणकारी, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, उद्यान, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों, जो देशीय सामान से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जायेगा।
36.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
37.	कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	उपायुक्त, कांगड़ा	अध्यक्ष
(ख)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

(ग)	विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में, कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	कार्यकारी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(ड.)	सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, देहरा, जावली या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
(च)	संभागीय वन अधिकारी (भू-भागीय)	सदस्य
(छ)	संभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	सदस्य-सचिव

निर्देश शर्तें -

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध**-IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं.25/124/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक (जी)

उपाबंध-I

पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	डब्ल्यू एलपीए के नाम	कुल क्षेत्र वर्ग किमी.	ग्रामों की संख्या	ग्रामों/वनों के नाम	हेक्ट. में क्षेत्र	अक्षांश	देशांतर
1.	पोंग डैम झील डब्ल्यूएलएस	46.31	51	बधेला	40.95	76°1'46"	32° 7'25"
2.				बझेरा	278.56	76°4'30"	31° 4'5"
3.				बलगत गुराला	11.04	76°4'54"	31° 56'10"
4.				बालोहल (लोवर)	13.20	76°7'50"	31° 55'15"
5.				ब्लोहर सुखनारा	219.71	76°4'23"	32° 3'13"
6.				बनारा	86.49	75°59'0"	32° 6'5"
7.				बारा	10.23	76°12'16"	31° 52'12"
8.				बरीयल	50.55	76°5'34"	31° 1'27"
9.				भंगेर	52.28	76°8'4"	31° 55'12"
10.				भटोली	23.56	76°7'46"	32° 58'21"
11.				भेरता	150.25	75°57'13"	32° 6'40"
12.				भायल	47.00	76°5'39"	31° 1'3"
13.				चब्बर	50.40	76°8'34"	31°57'55"
14.				चटवाल	22.34	76°4'36"	31° 56'14"
15.				चूरूनू धनोटू बल्ला	34.87	76°11'58"	31° 51'58"
16.				देहरा भारी राजगढ़	122.26	76°11'55"	31° 54'15"
17.				दुखी बगलाहार	88.08	76°58'4"	32° 5'47"
18.				गडोहाल	30.19	76°3'16"	31° 56'16"
19.				घेवयोरी	63.43	76°10'11"	31° 52'27"
20.				गुलेर	21.30	76°8'31"	31° 59'51"
21.				हावल	37.21	76°1'58"	31° 6'57"
22.				हरिपुर	12.21	76°9'51"	31° 0'17"
23.				हरसार	48.24	76°2'23"	31° 6'7"
24.				जगनौल	199.11	75°57'49"	32° 2'48"
25.				जाखारा (ग्राम पंचायत)	233.50	75°57'11"	32° 7'25"
26.				जलारियन	22.20	76°8'8"	31° 0'13"
27.				जम्बल बासी	147.35	76°9'38"	31° 54'6"
28.				जारोट	124.26	76°5'24"	32° 4'30"
29.				जवाली	56.57	76°0'58"	32° 8'27"
30.				झोंक रतीयाल छबुवन	128.67	75°59'24"	32° 5'7"
31.				खाब्बल	185.55	76°5'19"	31° 2'37"
32.				खारर	219.06	75°58'31"	32° 6'42"
33.				कथेर	39.53	76°8'32"	31° 57'28"
34.				लोहारा बतहरी तुतवान सिहल	179.64	75°57'37"	32° 5'10"
35.				लोवर धरनेता मन समकद, हदवाल, बादी बरला	236.00	75°58'5"	32° 2'10"
36.				लुदरेत	37.95	76°5'28"	31° 1'47"
37.				माहेबा	17.10	76°9'7"	31°59'28"
38.				मालेता	12.30	76°11'45"	31° 54'26"
39.				नंदपुर रानेल	101.66	76°7'5"	31° 0'33"
40.				नांगल	35.79	76°6'37"	31° 55'38"
41.				पानलथा	50.68	76°2'47"	31° 5'55"
42.				पापाहन गुगलारा	301.90	76°1'11"	32° 5'22"
43.				रानेल	2.85	76°8'0"	31° 57'53"
44.				रोड दिब्बर	63.44	76°7'54"	31° 59'03"
45.				समकेद	187.76	76°0'58"	31° 5'32"
46.				समलेता	157.34	76°3'45"	31° 4'41"
47.				संगोली	118.73	76°3'31"	31° 4'50"
48.				शिब्बा दासीवा नांगल	36.49	76°5'30"	31° 56'2"
49.				सोहारा	13.95	76°13'3"	31° 52'12"
50.				तारा बातेकी	86.94	75°58'4"	32° 2'57"
51.				थांगर	119.85	76°0'34"	31° 7'57"
				कुल	**4630.52**		

IndiaCode

उपाबंध II

पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक बिन्दु,

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	पू.01	75° 57.996' पू.	32° 8.869' उ.
2	पू.02	75° 58.819' पू.	32° 6.369' उ.
3	पू. 03	76° 0.538' पू.	32° 4.619' उ.
4	पू. 04	76° 1.211' पू.	32° 8.122' उ.
5	पू. 05	76° 3.638' पू.	32° 5.755' उ.
6	पू. 06	76° 5.459' पू.	32° 3.959' उ.
7	पू. 07	76° 3.653' पू.	32° 1.992' उ.
8	पू. 08	76° 5.988' पू.	32° 0.673' उ.
9	पू. 09	76° 8.789' पू.	31° 59.230' उ.
10	पू. 10	76° 8.518' पू.	31° 57.962' उ.
11	पू. 11	76° 9.984' पू.	31° 58.393' उ.
12	पू. 12	76° 9.532' पू.	31° 57.106' उ.
13	पू. 13	76° 11.599' पू.	31° 54.803' उ.
14	पू.14	76° 13.427' पू.	31° 52.585' उ.
15	पू. 15	76° 9.990' पू.	31° 53.986' उ.
16	पू. 16	76° 5.925' पू.	31° 55.922' उ.
17	पू. 17	76° 2.898' पू.	31° 56.178' उ.
18	पू. 18	75° 59.635' पू.	31° 56.214' उ.
19	पू. 19	75° 56.768' पू.	31° 57.793' उ.
20	पू. 20	75° 57.209' पू.	31° 59.969' उ.
21	पू. 21	75° 56.624' पू.	32° 1.867' उ.
22	पू. 22	75° 56.595' पू.	32° 4.531' उ.
23	पू.23	75° 56.490' पू.	32° 6.044' उ.
24	पू. 24	75° 57.135' पू.	32° 7.741' उ.

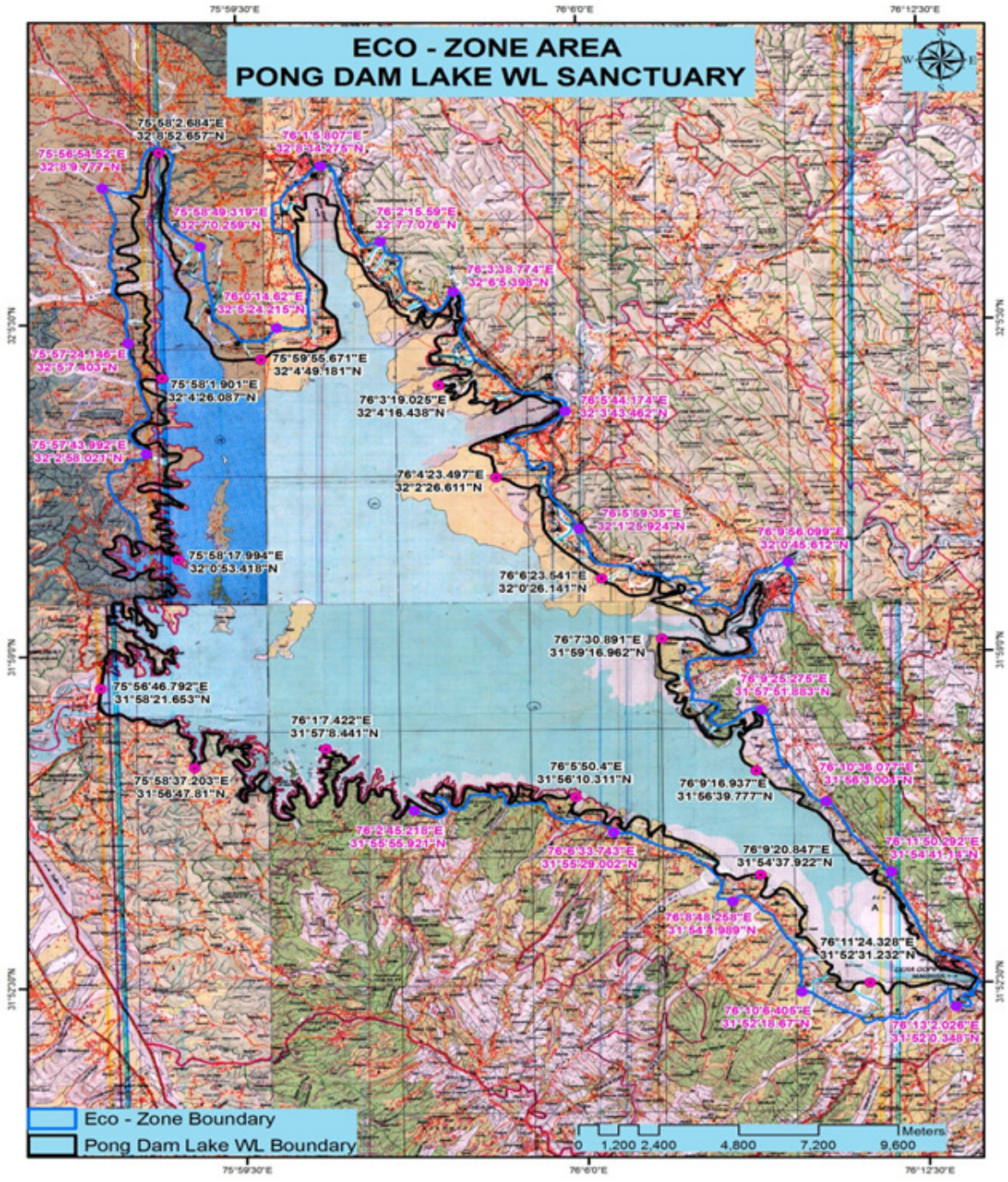
पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ

जीपीएस निर्देशांक बिन्दु,

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	पू.01	75° 57.867' पू.	32° 9.081' उ.
2	पू.02	75° 59.106' पू.	32° 6.832' उ.
3	पू.03	76° 0.989' पू.	32° 5.463' उ.
4	पू.04	76° 1.571' पू.	32° 9.004' उ.
5	पू.05	76° 3.952' पू.	32° 6.601' उ.
6	पू.06	76° 5.994' पू.	32° 4.569' उ.
7	पू.07	76° 5.966' पू.	32° 2.709' उ.
8	पू.08	76° 8.438' पू.	32° 0.366' उ.
9	पू.09	76° 9.487' पू.	32° 0.444' उ.
10	पू.10	76° 13.130' पू.	31° 53.259' उ.
11	पू.11	76° 10.687' पू.	31° 52.329' उ.
12	पू.12	76° 9.484' पू.	31° 54.091' उ.
13	पू.13	76° 6.396' पू.	31° 55.670' उ.
14	पू.14	76° 3.526' पू.	31° 55.966' उ.
15	पू.15	75° 57.256' पू.	32° 2.428' उ.
16	पू.16	75° 56.237' पू.	32° 4.592' उ.
17	पू.17	75° 56.225' पू.	32° 6.039' उ.
18	पू.18	75° 56.778' पू.	32° 7.785' उ.

उपाबंध III

पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ



उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों के कार्यवृत्त : उल्लेखनीय बिन्दुओं का उल्लेख करें। अलग उपाबंध पर बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति
4. भूमि अभिलेख (पारि-संवेदी जोन वार) के ऊपर स्पष्ट त्रुटि के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंगर्तत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2015

S.O.3099(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary located in Kangra District, Himachal Pradesh and lying between latitude $31^0$49'50" N to $32^0$14'36" N and longitude $76^0$53'31" E to $77^0$17'53" E is spread over an area of 207.59 Square Kilometres.

And whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary.

Birds: 230 species of the belonging to about 54 bird families out of 77 families of the birds recorded in India. Among the waterfowl's main species are bar-headed geese, pintails, poachards, coots, grebes, cormorants and storks etc.

Butterflies: Indian fritilary, striped tiger, orange oakleaf, yellow pansy, grey danid eggfly etc.

Animals: nilgai, oorcupine, civets, mongoose, leopard etc.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification surrounding the protected area of Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 1.5 kilo metre around the boundary of Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Pong

Dam Lake Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 46.31 Square Kilometre with an varying extent upto 1.5 km around the boundary of Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary.

(2) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-I.**

(3) The Global Positioning System co-ordinates of points along the boundary of such zone are given at **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department;

for integrating environment and ecological consideration into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,35,36 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

IndiaCode

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) small scale industries not causing pollution,

(iv) rainwater harvesting, and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in

accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman

		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan
11.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluents shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulation shall be followed.
14.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts

Indian Code

		and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Public Rights.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
25.	All the ways and existing roads.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of Agriculture system.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial use of natural water resource including ground water Harvesting.	Regulated under applicable laws.
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment, shall be permitted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

a) Deputy Commissioner, Kangra - Chairman

b) An expert in the field of ecology and environment - Member

to be nominated by the Government of Himachal Pradesh

for a term of one year in each case.

c)	One representatives of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a term of one year in each case.	-	Member
d)	Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board	-	Member
e)	Sub-Divisional Magistrate, Dehra, Jawali or his representative	-	Member
f)	Divisional Forest Officer (Territorial)	-	Member
g)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	-	Member-Secretary

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F.No.25/124/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientiest 'G'

IndiaCode

ANNEXURE-I

LIST OF VILLAGE FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF PONG DAM LAKE WILDLIFE SANCTUARY

SN.	Name WL PA	Total Area Sq Km	No. of Villages	Name of Villages/Forests	Area in Hac	Langitude	Latitude
1.	PONG DAM LAKE WLS	46.31	51	Badhela	40.95	76°1'46"	32° 7'25"
2.				Bajhera	278.56	76°4'30"	31° 4'5"
3.				Balgat Guralla	11.04	76°4'54"	31° 56'10"
4.				Balohal (Lower)	13.20	76°7'50"	31° 55'15"
5.				Blohar Sukhanara	219.71	76°4'23"	32° 3'13"
6.				Banara	86.49	75°59'0"	32° 6'5"
7.				Bara	10.23	76°12'16"	31° 52'12"
8.				Barial	50.55	76°5'34"	31° 1'27"
9.				Bhanger	52.28	76°8'4"	31° 55'12"
10.				Bhatoli	23.56	76°7'46"	32° 58'21"
11.				Bherta	150.25	75°57'13"	32° 6'40"
12.				Bhial	47.00	76°5'39"	31° 1'3"
13.				Chabbar	50.40	76°8'34"	31°57'55"
14.				Chatwal	22.34	76°4'36"	31° 56'14"
15.				Churunu Dhanotu Balla	34.87	76°11'58"	31° 51'58"
16.				Dehra Bari Rajgarh	122.26	76°11'55"	31° 54'15"
17.				Dukhi Baglahar	88.08	76°58'4"	32° 5'47"
18.				Gadohal	30.19	76°3'16"	31° 56'16"
19.				Gheori	63.43	76°10'11"	31° 52'27"
20.				Guler	21.30	76°8'31"	31° 59'51"
21.				Hawal	37.21	76°1'58"	31° 6'57"
22.				Haripur	12.21	76°9'51"	31° 0'17"
23.				Harsar	48.24	76°2'23"	31° 6'7"
24.				Jagnoll	199.11	75°57'49"	32° 2'48"
25.				Jakhara (G.Panchayat)	233.50	75°57'11"	32° 7'25"
26.				Jallarian	22.20	76°8'8"	31° 0'13"
27.				Jambal Bassi	147.35	76°9'38"	31° 54'6"
28.				Jarot	124.26	76°5'24"	32° 4'30"
29.				Jawali	56.57	76°0'58"	32° 8'27"
30.				Jhounk Ratial Chabbuan	128.67	75°59'24"	32° 5'7"
31.				Khabbal	185.55	76°5'19"	31° 2'37"
32.				Kharar	219.06	75°58'31"	32° 6'42"
33.				Kather	39.53	76°8'32"	31° 57'28"
34.				Lohara Batahri Tutwan Sihal	179.64	75°57'37"	32° 5'10"
35.				Lower Dharneta Man Samkad, Hadwal, Badi Barla	236.00	75°58'5"	32° 2'10"
36.				Ludret	37.95	76°5'28"	31° 1'47"
37.				Maheba	17.10	76°9'7"	31°59'28"
38.				Maleta	12.30	76°11'45"	31° 54'26"
39.				Nandpur Ranial	101.66	76°7'5"	31° 0'33"
40.				Nangal	35.79	76°6'37"	31° 55'38"
41.				Panalath	50.68	76°2'47"	31° 5'55"
42.				Papahan Guglara	301.90	76°1'11"	32° 5'22"
43.				Ranial	2.85	76°8'0"	31° 57'53"
44.				Rod Dibber	63.44	76°7'54"	31° 59'03"
45.				Samked	187.76	76°0'58"	31° 5'32"
46.				Samleta	157.34	76°3'45"	31° 4'41"
47.				Sangoli	118.73	76°3'31"	31° 4'50"
48.				Shibba Dadasiba Nangal	36.49	76°5'30"	31° 56'2"
49.				Sohara	13.95	76°13'3"	31° 52'12"
50.				Tara Bateki	86.94	75°58'4"	32° 2'57"
51.				Thangar	119.85	76°0'34"	31° 7'57"
				Total	**4630.52**		

IndiaCode

ANNEXURE-II

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Pong Dam WLS

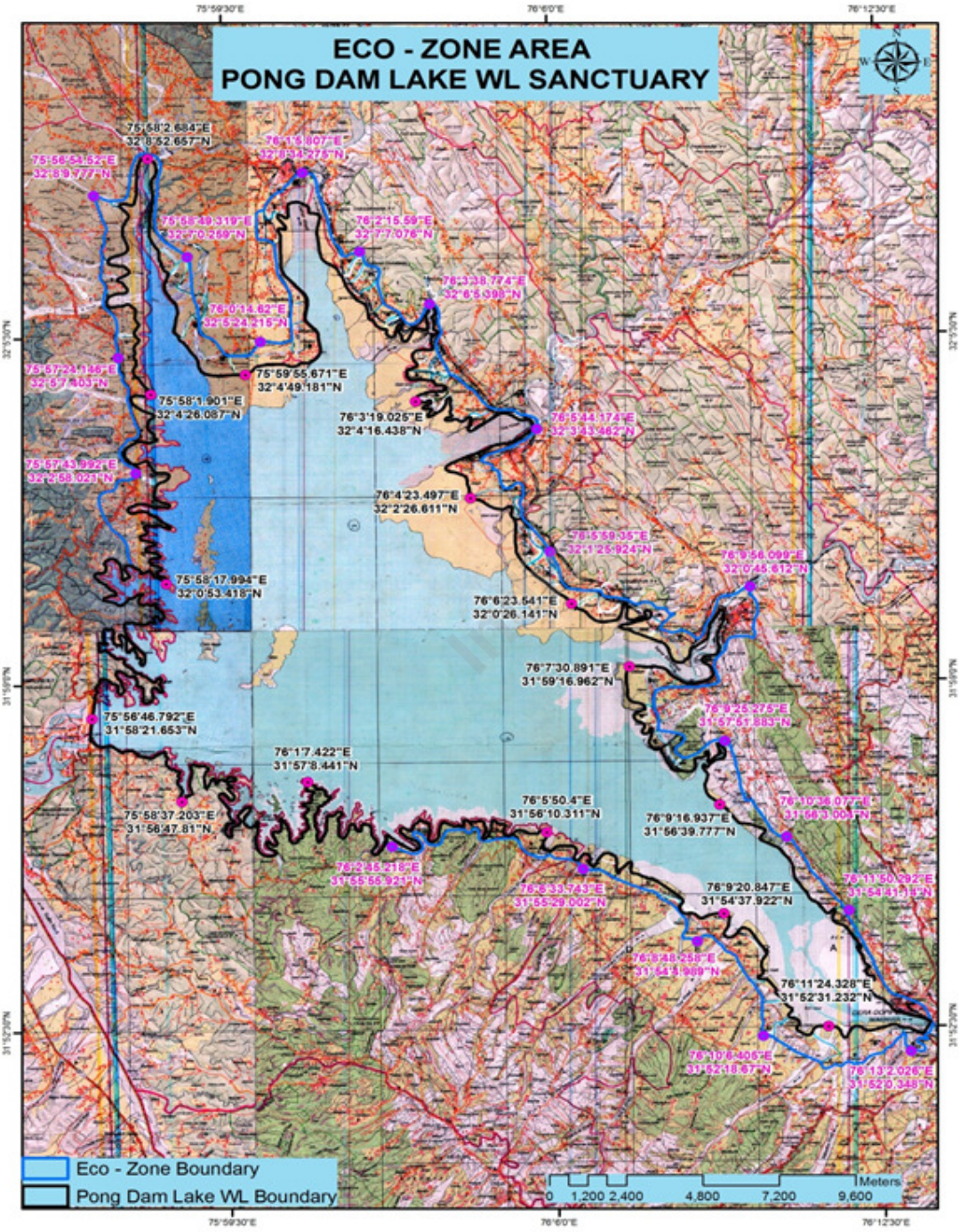
Sl_no.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	75° 57.996' E	32° 8.869' N
2	E02	75° 58.819' E	32° 6.369' N
3	E03	76° 0.538' E	32° 4.619' N
4	E04	76° 1.211' E	32° 8.122' N
5	E05	76° 3.638' E	32° 5.755' N
6	E06	76° 5.459' E	32° 3.959' N
7	E07	76° 3.653' E	32° 1.992' N
8	E08	76° 5.988' E	32° 0.673' N
9	E09	76° 8.789' E	31° 59.230' N
10	E10	76° 8.518' E	31° 57.962' N
11	E11	76° 9.984' E	31° 58.393' N
12	E12	76° 9.532' E	31° 57.106' N
13	E13	76° 11.599' E	31° 54.803' N
14	E14	76° 13.427' E	31° 52.585' N
15	E15	76° 9.990' E	31° 53.986' N
16	E16	76° 5.925' E	31° 55.922' N
17	E17	76° 2.898' E	31° 56.178' N
18	E18	75° 59.635' E	31° 56.214' N
19	E19	75° 56.768' E	31° 57.793' N
20	E20	75° 57.209' E	31° 59.969' N
21	E21	75° 56.624' E	32° 1.867' N
22	E22	75° 56.595' E	32° 4.531' N
23	E23	75° 56.490' E	32° 6.044' N
24	E24	75° 57.135' E	32° 7.741' N

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Pong Dam WLS

Sl_no.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	75° 57.867' E	32° 9.081' N
2	E02	75° 59.106' E	32° 6.832' N
3	E03	76° 0.989' E	32° 5.463' N
4	E04	76° 1.571' E	32° 9.004' N
5	E05	76° 3.952' E	32° 6.601' N
6	E06	76° 5.994' E	32° 4.569' N
7	E07	76° 5.966' E	32° 2.709' N
8	E08	76° 8.438' E	32° 0.366' N
9	E09	76° 9.487' E	32° 0.444' N
10	E10	76° 13.130' E	31° 53.259' N
11	E11	76° 10.687' E	31° 52.329' N
12	E12	76° 9.484' E	31° 54.091' N
13	E13	76° 6.396' E	31° 55.670' N
14	E14	76° 3.526' E	31° 55.966' N
15	E15	75° 57.256' E	32° 2.428' N
16	E16	75° 56.237' E	32° 4.592' N
17	E17	75° 56.225' E	32° 6.039' N
18	E18	75° 56.778' E	32° 7.785' N

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PONG DAM LAKE WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);
 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;
 Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;
 Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.